भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *321
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत बजट आवंटन

***321. श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः**

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु बजट आबंटन में वृद्धि की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2025-26 के दौरान महाराष्ट्र के बीड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र सहित चिह्नित सड़कों और स्थानों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता की निगरानी करने का है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार डिजिटल प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए सड़क परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क निर्माण कार्य में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कोई प्रावधान किया है; और

(च) उक्त सड़क निर्माण कार्यकलापों में दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों के हितों का किस प्रकार ध्यान रखा गया है?

उत्तर
ग्रामीण विकास मंत्री
(श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (च) विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

लोक सभा में दिनांक 12-08-2025 को उत्तर देने के लिए नियत तारांकित प्रश्न सं.*321 के उत्तर के भाग (क) से (च) में उल्लिखित विवरण

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के लिए बजट आवंटन वित्तीय वर्ष 2021-22 में ₹ 15,000 करोड़ से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2022-23 से ₹ 19,000 करोड़ कर दिया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट आवंटन ₹ 19,000 करोड़ है।

(ख) महाराष्ट्र राज्य में पीएमजीएसवाई के आरंभ से विभिन्न घटकों के तहत 34,476.158 किमी सड़क लंबाई का अनुमोदन किया गया है, जिसमें से दिनांक 07-08-2025 तक 31,889.802 किमी लंबाई पूर्ण हो चुकी है। जारी पीएमजीएसवाई कार्यों की स्थिति का राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा कार्यक्रम की वेबसाइट लिंक पर उपलब्ध है: https://omms.nic.in/progress monitoring/Monthly Progress Report (MPR)/State-Abstract-Report

राज्य द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में पीएमजीएसवाई के तहत प्रगति पर चल रहे सड़क कार्यों का विवरण निम्नानुसार है:

घटक	शेष कार्य		
	सड़कें	लंबाई (किमी)	पुल
पीएमजीएसवाई-I	8	38.76	3
पीएमजीएसवाई-III	469	1835.54	213
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	7	72.15	11
पीएम-जनमन	27	50.14	0
कुल	**511**	**1996.59**	**227**

बीड जिले में 84.75 किमी लंबी 15 सड़कें और 3 पुल निर्माण के विभिन्न चरणों में हैं। महाराष्ट्र राज्य में पीएमजीएसवाई परियोजनाओं की जिला-वार स्थिति **अनुबंध** में दी गई है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार विवरण का ब्यौरा मंत्रालय में नहीं रखा जाता है।

इसके अलावा, पीएमजीएसवाई-IV को वर्ष 2024 में 62,500 किलोमीटर की बारहमासी सड़कों (एक लेन) के निर्माण के लिए शुरू किया गया है, ताकि जनगणना 2011 के अनुसार मैदानी इलाकों में 500+, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों , विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्रों) में 250+ और वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ आबादी वाली लगभग 25,000 बिना संपर्क वाली बसावटों को सड़क से जोड़ा जा सके। पीएमजीएसवाई-IV के तहत सड़कों से नहीं जुड़ी बसावटों का सर्वेक्षण राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों द्वारा "ग्राम सड़क सर्वेक्षण (जीएसएस)" ऐप का उपयोग करके पूरा कर लिया गया है। मंत्रालय ने पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत परियोजनाओं

को मंजूरी देना शुरू कर दिया है। मंत्रालय स्कीम के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक अनुपालनों को पूरा करने के लिए महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निकट समन्वय से कार्य कर रहा है। सर्वेक्षण के दौरान महाराष्ट्र राज्य द्वारा पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए सड़कों से नहीं जुड़ी कुल 205 बसावटों की अनुमानित रूप से पहचान की गई है।

(ग) पीएमजीएसवाई के तहत कार्यक्रम के निष्पादन को इच्छित गुणवत्ता मानदंडों तक लाने के लिए एक त्रि-स्तरीय गुणवत्ता प्रबंधन तंत्र स्थापित किया गया है, जो पीएमजीएसवाई के तहत सड़क परिसंपत्तियों की स्थिरता को सुनिश्चित करता है। है। पहले स्तर पर, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों (पीआईयू) को क्षेत्र की प्रयोगशाला में सामग्री और निर्माण कार्य पर अनिवार्य परीक्षण के द्वारा प्रक्रिया नियंत्रण सुनिश्चित करना होता है। दूसरे स्तर पर, राज्य स्तर पर स्वतंत्र गुणवत्ता निगरानी के लिए राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) नियुक्त होते हैं, जो निर्माण के प्रारंभिक, मध्य और अंतिम चरण में प्रत्येक कार्य का निरीक्षण करते हैं। तीसरे स्तर पर, राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) द्वारा स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) रैंडम नमूना आधार पर सड़क कार्यों का, न केवल गुणवत्ता निगरानी के लिए बल्कि क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को वरिष्ठ विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, निरीक्षण करते हैं। एनक्यूएम की टिप्पणियाँ राज्य सरकारों को कार्यवाही के लिए भेजी जाती हैं, और कार्यवाही की रिपोर्ट (एटीआर) की निगरानी मंत्रालय की तकनीकी शाखा अर्थात् एनआरआडीए द्वारा की जाती है। त्रि-स्तरीय तंत्र के तहत सड़क की गुणवत्ता की समय-समय पर निगरानी के आधार पर, जहाँ भी आवश्यक हो, सुधारात्मक उपाय राज्य सरकारों द्वारा किए जाते हैं।

(घ) सरकार पीएमजीएसवाई के तहत सड़क परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी विभिन्न डिजिटल तकनीकों और ऑनलाइन प्लेटफार्मों के माध्यम से कर रही है। परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की निगरानी के लिए ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएएस) का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सड़क के नियमित और आवधिक रखरखाव की निगरानी के लिए ई-मार्ग (पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव) प्लेटफार्म को कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अलावा, एक मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से जियो-टैगिंग का उपयोग योजना के तहत निर्मित परिसंपत्तियों की वास्तविक समय की निगरानी और सत्यापन सक्षम करता है। सभी पीएमजीएसवाई सड़कों और पुलों को निर्माण के विभिन्न चरणों में फोटो के साथ जियो-टैग किया जाता है। कार्यान्वयन को बेहतर निर्णय लेने और पारदर्शिता के लिए जीआईएस आधारित आयोजना टूल्स और डैशबोर्डों द्वारा भी समर्थित किया जाता है। ये डिजिटल कार्यकलाप पीएमजीएसवाई के तहत ग्रामीण सड़कों के समयबद्ध निष्पादन, गुणवत्ता आश्वासन और प्रभावी रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं। इसके अतिरिक्त, पीएमजीएसवाई सड़कों के रखरखाव की नियमित समीक्षा का प्रावधान है, जो क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें (आरआरएम), प्रदर्शन समीक्षा समिति (पीआरसी) बैठकें, राज्य के साथ पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त

समिति बैठकों के माध्यम से मंत्रालय द्वारा किया जाता है। उपरोक्त के अलावा, योजना की प्रगति सहित रखरखाव पहलुओं का आकलन करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें/मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(ङ) और (च) पीएमजीएसवाई का कार्यान्वयन वर्ष 2000 से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य जनगणना 2001 के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500+, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, विशेष श्रेणी क्षेत्रों (जनजातीय अनुसूची-V, आकांक्षी जिले/ब्लॉक, रेगिस्तानी क्षेत्र) में 250+ तथा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित (एलडब्ल्यूई) प्रभावित जिलों में 100+ जनसंख्या वाली पात्र सड़क संपर्करहित बसावटों को एकल बारहमासी सड़क के माध्यम से ग्रामीण सड़क संपर्कता प्रदान करना है। पीएमजीएसवाई-IV के लिए नए घटक जनसंख्या मानदंड 2011 की जनगणना के अनुसार हैं।

योजना के दिशा-निर्देशों में सड़कों के चयन के लिए जन प्रतिनिधियों से परामर्श लेने का प्रावधान है। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार सड़कों को ब्लॉक और जिला स्तर पर अनुमोदित किया जाता है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी शुरू करते समय, पीआईयू ग्राम पंचायत के तंत्र के माध्यम से स्थानीय समुदाय के साथ परामर्श करता है ताकि सबसे उपयुक्त मार्ग संरेखण का निर्धारण किया जा सके, भूमि की उपलब्धता (वन भूमि सहित) के मुद्दों को सुलझाया जा सके, विशेष रूप से सड़क चौड़ाईकरण/संरेखण में मामूली परिवर्तन आदि के कारण, प्रस्तावित वृक्षारोपण, किसी भी प्रतिकूल और पर्यावरणीय प्रभाव को कम किया जा सके और कार्यक्रम में आवश्यक सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। इसके लिए, पीआईयू स्थानीय पंचायत सदस्यों और मध्यवर्ती एवं जिला पंचायत के स्थानीय सदस्यों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ एक औपचारिक "ट्रांजेक्ट वॉक" का आयोजन करता है।

पीएमजीएसवाई के कार्य प्रतिस्पर्धात्मक निविदा के आधार पर सरकारी ई-प्रोक्यूर्मेंट प्लेटफॉर्म पर आवंटित किए जाते हैं। सड़कों के कार्य, जिसमें पीएमजीएसवाई की सड़कें शामिल हैं, श्रम-प्रधान होते हैं और स्थानीय उपलब्ध मानव संसाधन के उपयोग को बढ़ावा देते हैं।

अनुबंध

लोक सभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत तारांकित प्रश्न संख्या 321 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

बीड जिले सहित महाराष्ट्र राज्य के लिए पीएमजीएसवाई के अंतर्गत जिला-वार संचयी प्रगति की स्थिति:

क्र. सं	जिले का नाम	स्वीकृत सड़क कार्यों की संख्या	स्वीकृत सड़क लंबाई	स्वीकृत पुल कार्यों की संख्या	पूर्ण किये गए सड़क कार्यों की संख्या	पूर्ण किए गए पुल कार्यों की संख्या	पूर्ण की गई सड़क की लंबाई
1	अहमदनगर	281	1,818.185	22	245	18	1,639.118
2	आकोला	140	782.200	20	140	20	767.100
3	अमरावती	160	838.255	50	159	28	818.151
4	औरंगाबाद	213	960.666	63	203	48	908.265
5	**बीड**	**272**	**1,180.270**	**43**	**257**	**40**	**1,082.534**
6	भंडारा	171	717.470	9	169	8	710.702
7	बुलढाना	158	711.220	25	152	16	697.190
8	चंद्रपुर	166	1,037.826	65	163	47	1,010.346
9	धुले	188	969.930	63	176	56	891.425
10	गढ़चिरोली	341	1,923.936	120	312	111	1,689.374
11	गोंदिया	285	1,126.412	16	284	14	1,090.311
12	हिंगोली	192	633.150	24	192	21	629.070
13	जलगांव	219	1,100.500	21	197	19	1,006.515
14	जालना	210	1,017.175	89	205	69	995.475
15	कोल्हापुर	191	851.725	10	180	9	815.900
16	लातूर	228	854.635	69	218	60	821.993
17	नागपुर	196	967.355	33	190	15	930.149
18	नांदेड़	164	966.060	28	148	25	837.809
19	नंदुरबार	220	1,387.585	29	206	29	1,326.185
20	नासिक	303	1,783.597	41	265	30	1,501.095
21	उस्मानाबाद	166	700.760	61	155	53	657.987
22	परभणी	188	638.340	26	174	24	516.747
23	पुणे	325	1,875.655	17	286	16	1,679.688
24	रायगढ़	125	471.949	2	104	2	422.355
25	रत्नागिरि	207	809.949	7	177	7	679.765
26	सांगली	251	948.573	8	236	8	860.427
27	सतारा	211	1,240.320	2	171	2	1,087.047

28	सिंधुदुर्ग	189	722.800	10	150	10	581.623
29	सोलापुर	348	1,678.740	21	337	19	1,622.915
30	थाणे	65	235.379	0	52	0	201.683
31	वर्धा	159	1,123.026	28	159	11	1,103.585
32	वाशिम	127	623.065	18	120	10	598.395
33	यवतमाल	190	1,236.940	68	188	42	1,236.094
34	पालघर	209	542.510	2	196	2	472.784
	कुल	**7,058**	**34,476.158**	**1,110**	**6,566**	**889**	**31,889.802**

*****